

प्राणी वी वार्क प्रलय 19.6.17
की प्रेषण है।

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्यय आपके द्वार-2017"
केंद्र स्थल... हारियाणारी
दिनांक... 13/6/17

प्राणी आठ लोक अदालत में प्रेषण
जान्य रिपोर्ट संतुष्टिदायक प्रारण में
अधिकारी की शर्त।

किताबों/अधिकारों
... ..

र या र
काम ज
की न
जाही

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए</p>
	<p>हकाला में जोन्च रिपोर्टर तहसीलदार के वाद फाथल का सम्मक अकोऊन किया गया। वादात श्रमिक रघुनाथपुरा खत नं. $\frac{46}{311}$ व $\frac{99}{311}$ पर बिधा 22 शुभ रामा, प्रहलाद (मेम पुत्र रघुनाथ व कदम माला) Diogरघुनाथ व धारू पं० रघुनाथ का नाक दर्ज करा। अगली प्रजापदी में से इस का नाक बिना ठोस वजह सिावने से दोड़ किया गया है। उक्त भूरी C.P. Pells. 155 to 158 की फासल के फासल में फासल कुर्छ है, ऐसा एसील होता है। उक्त श्रमिक से वाद बन्दोबस्त वही खसरा नम्बर 600 (फव) 0.58 हे. व 638 (फव) 0.21 हे बनाया जाना हक सिास श्रमिक उमाशिता है। इकल के सम्मक अकोऊन उपलव हम मत जाती है, कि वाद वादी स्वीकार योग्य है। अता दावा वादी स्वीकार किया जाक मत भादम रिम भात है, कि वादी का श्रम रघुनाथपुरा हाक खत नं. $\frac{600}{0.58}$, $\frac{638}{0.21}$ किला 2 (फव) 0.79 हेक्टर का सहावातदार घोषित किया जाता है। वादी का नाम मृतक बिधा के वारिसन के हिस्से के श्रम के लमान हिस्से से दर्ज किया जाये। वादनुसार डिक्ली पन्चा सुतिर्य है। पमावनी फैसल सुमार रोज 30 को है। निर्णय काक दि० 13/6/18 के सप्त लोक अदालत केम्य हाकिमावेदी या मुकाम गया।</p>	

उपलव अधिकारी
समगंजनपदी